मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2018 / 459 दिनांक– 2/5/18

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / संचालक / प्राचार्य,
(निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं)
मध्यप्रदेश।

विषय– प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

संदर्भ–
1. इस सचिवालय का सूचना पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2018 / 74 दिनांक 23.01.2018.
2. इस सचिवालय का सूचना पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2018 / 75 दिनांक 23.01.2018.
3. इस सचिवालय का सूचना पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2018 / 223 दिनांक 23.02.2018.
4. इस सचिवालय का सूचना पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2018 / 225, 227 एवं 229 दिनांक 23.02.2018

***

उपरोक्त विषयांतर्गत ऊपर वर्णित संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा संचालित एवं किसी नियामक / निकाय यथा एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.आई., सी.सी.आई. एम. पी.सी.आई. ए.आई.सी.टी.ई., एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगामी तीन साल के ब्लॉक अर्थात् **सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21** के शुल्क विनियमन के संबंध में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से प्रपत्र ए एवं बी भरने के लिये दिनांक 16.04.2018 तक समिति, सचिवालय के पोर्टल पर लाईन ओपन रखी गई थी।

ऐसी संस्थाएं जिनके द्वारा समिति, सचिवालय के पोर्टल पर लॉगिन कर प्रपत्र–ए एवं बी भरने की कार्यवाही पूर्ण कर ली है / ऐसी संस्थायें जिनके आगामी ब्लॉक के शुल्क का विनियमन किया जाना हैं के द्वारा प्रपत्र–सी भरने की कार्यवाही की जाना है। इस हेतु समिति, सचिवालय के बेवपोर्टल **www.afrcmp.org** पर प्रपत्र–सी दिनांक 07.05.2018 से 16.05.2018 तक उपलब्ध रहेगा। संस्थाएं समिति, सचिवालय के बेवपोर्टल **www.afrcmp.org** पर लॉगिन कर प्रपत्र–सी भरने की कार्यवाही करें। ऑनलाईन के माध्यम से प्रपत्र–सी भरने के उपरांत भरे गये प्रपत्र–सी एवं अपलोड किये गये संलग्नक का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर दिनांक 25.05.2018 तक समिति, सचिवालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपरोक्त दर्शाई तिथियों के पश्चात् प्राप्त प्रपत्र–सी को समिति द्वारा विचार में नहीं लिया जावेगा एवं एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संभावित है।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

पृ.क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2018 / दिनांक –

प्रतिलिपि–
1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक निदेशक, क्रिस्प, श्यामला हिल्स, भोपाल को इस टीप के साथ कि इस सूचना को समिति सचिवालय के वेबपोर्टल के होमपेज पर अपलोड करते हुये संबंधित संस्थाओं को भी सूचित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी